प्रारुप–11

परियोजना का नाम – जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 33 से किरोली मोटर मार्ग का निमार्ण(लम्बाई 5.00कि0मी0) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावट किरोली (CC, 1050100, H 118, Pop. 761) को किसी भी बारामासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्या विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 9465/पी3–14(Hab)/यू0आर0आर0डी0ए0/17 दिनांक 01.03.2017 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट किरोली की आबादी 255 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का बाहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहं युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वही सरकार की विकास योजनायें भी संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाम भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि 2.070 है0, मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि 0.000 है0 नाप भूमि 2.250 है0 सिविल सोयम भूमि 0.180 है0 एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल भूमि है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0–2
पी0एम0जी0एस0वाई0
क्षेत्र–कपकोट बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0–2
पी0एम0जी0एस0वाई0
क्षेत्र–कपकोट बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0–2
पी0एम0जी0एस0वाई0
क्षेत्र–कपकोट बागेश्वर।